राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2019-20
10वीं कक्षा
सामाजिक विज्ञान
मॉडल पेपर 3

समय : $3\frac{1}{4}$ घंटे **(पूर्णांक : 80)**

परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश :-

1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
2. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
4. जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।
5.

प्रश्न संख्या	अंक प्रत्येक प्रश्न	उत्तर की शब्द सीमा
1-10	1	20 शब्द
11-19	2	40 शब्द
20-26	4	100 शब्द
27, 29	6	150 शब्द
28	7	150 शब्द

6. प्रश्न संख्या 30 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 5 अंक का है।
7. प्रश्न संख्या 24 व 27 से 29 तक में आंतरिक विकल्प है।

---

1. विराट नगर किस महाजनपद की राजधानी थी? 1

उत्तर :
विराट नगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी।

2. खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? 1

उत्तर :
1290 ई. में खिलजी वंश की स्थापना खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने की थी।

3. प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रमुख दो रूप कौनसे है? 1

उत्तर :
प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप निम्न है-
1. अध्यक्षात्मक लोकतंत्र
2. संसदीय लोकतंत्र

4. किस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था? 1

उत्तर :
एक समूह पत्तन (बंदरगाह) की सुविधा प्रदान करने के लिए जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था।

5. राष्ट्रीय आय के कोई दो रूप लिखिये। 1

उत्तर :
राष्ट्रीय आय के दो रूप निम्नलिखित हैं-
1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP)।
2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)।

6. भारत में राष्ट्रीय आय लेखा को आयोजित करने वाले संगठन का क्या नाम है? 1

उत्तर :
"केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन" भारत में राष्ट्रीय आय लेखा को आयोजित करने वाला संगठन है।

7. आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? 1

उत्तर :
किसी समयावधि में किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है।

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

8. सापेक्ष गरीबी से क्या आशय है? 1

उत्तर :
समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय, धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं की माप को 'सापेक्ष गरीबी' कहते है।

9. समग्र आपूर्ति क्या व्यक्त करती है? 1

उत्तर :
'समग्र आपूर्ति' मौजूदा कीमतों पर उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित कुल उत्पादन को व्यक्त करती है।

10. 'अलघ कमेटी' क्या हैं? 1

उत्तर :
प्रभावी उपभोग माँग व न्यूनतम आवश्यकता पर सन् 1979 में जो कार्यदल गठित किया गया उसे ही वाई.के. अलघ कमेटी कहा जाता है।

11. विधानपरिषद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करता हैं? 2

उत्तर :
विधानपरिषद के सदस्य केवल प्रश्न पूछकर व विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिमण्डल के कार्यों की जाँच और आलोचना कर सकते हैं। विधानपरिषद मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

12. भाखड़ा नाँगल परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2

उत्तर :
भाखड़ा नाँगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना है जिसका निर्माण पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में किया गया है। इसके अन्तर्गत सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर भारत का सबसे ऊँचा व विश्व का दूसरा सबसे ऊँचा बाँध बनाया गया है। इस बाँध की ऊँचाई 226 मीटर है। नदी तल पर बाँध की लम्बाई 338 मीटर तथा ऊपर चोटी पर 518 मीटर हैं।

भाखड़ा से 13 किमी नीचे नांगल नामक स्थान पर नांगल बाँध बनाया गया है जो 29 मीटर ऊँचा तथा 315 मीटर लम्बा है। इस बाँध में 28 निकास द्वार हैं जिनकी सहायता से नदी के जल-स्तर को 15 मीटर ऊंचा उठाया जा सकता है।

भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत भाखड़ा बाँध से भाखड़ा की मुख्य नहर, बिस्त-दोआब नहर, सरहिन्द नहर, नरवाना शाखा नहर, नांगल जल-विद्युत् नहर निकाली गई हैं।

13. कपास का मुद्रादायिनी फसलों में क्या योगदान है? 2

उत्तर :
कपास एक बहु-उपयोगी प्राकृतिक रेशा तथा नकदी फसल है। इसके रेशे से सूत काता जाता है जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। विश्व में आधे से अधिक कपड़े कपास से तैयार किए जाते हैं। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। देश में कपास उत्पादन क्षेत्रों में प्रथम तीन राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश हैं।

14. एन्थ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। 2

उत्तर :

	एन्थ्रेसाइट कोयला	बिटुमिनस कोयला
1.	यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है इसमें 80 प्रतिशत कार्बन होता है।	यह कोयले की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली किस्म है। इसमें 60 से 80 प्रतिशत कार्बन होता है।
2.	यह कोयला केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पाया जाता है।	यह कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है।

15. भारत में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के लिए कोई दो सुझाव लिखिए। 2

उत्तर :
भारत में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के लिए सुझाव निम्नलिखित हैं–
1. नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।
2. अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग की मशीने पुरानी तकनीक पर आधारित है उनके स्थान पर नई मशीनरी का उपयोग किया जाए।

16. जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच क्या अंतर है? इन दोनों ने भारतीय आबादी की वृद्धि को कैसे प्रभावित किया? 2

उत्तर :
प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में जन्में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जबकि प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 1980 तक जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में निरंतर गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया एवं इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1975-2010 के बीच जनसंख्या 1.2 बिलियन से दुगुनी हो गई है।

17. सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? 2

उत्तर :
भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व देख-रेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है। इन सड़कों का महत्व इस प्रकार है–
1. ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों विशेषकर चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है।
2. युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुँचाई जाती है।
3. इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना-जाना सरल हुआ हैं
4. ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं।

18. सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? 2

उत्तर :
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु सड़कों पर वाहनों की अधिकाधिक व्यस्तता के समय प्रत्येक दिशा के आबादी का घनत्व का भलीभाँति, अध्ययन करके, प्रत्येक यातायात सिगनल पर समय निश्चित किया जा सकता है।

सभी गुरूजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाएंगे।

19. मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व क्यों हैं? 2

उत्तर :

मानव जीवन में स्वच्छता का बहुत अधिक महत्व है। अनोपचारित दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण मानव स्वास्थ्य को कई तरह से दुष्प्रभावित करता है। जैसे–

1. पीने के पानी का दूषित होना, जिससे बीमारियाँ फैलती है।
2. खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, उदाहरण फल–सब्जी, मछली आदि का दूषित होना। ये खाद्य भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर नुकसान पहुँचाते हैं।
3. पूल में नहाने और मनोरंजन से जल दूषित होना।
4. मक्खियों एवं अन्य कीटों का बढ़ना जो बीमारी फैलाते हैं।

उपर्युक्त कारणों को दूर करने के लिए मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व है।

20. मौर्य प्रशासन की न्याय व्यवस्था के बारे में बताइए। 4

उत्तर :

मौर्य शासक न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे ऊपर पाटलीपुत्र का केन्द्रीय न्यायालय था। इससे नीचे संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। निम्न स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीण और ग्रामवृद्ध अपना निर्णय देते थे। ग्रामसंघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे–

1. **धर्मस्थीय –** इनमें निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण तीन धर्मस्थ और तीन अमात्य (मंत्री) करते थे। ये दीवानी न्यायालय थे, इनमें राजस्व संबंधी मामले आते थे। चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें 'साहस' कहा जाता था, धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मान–हानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाये जाते थे, जिन्हें 'वाक् पारुश्य' या 'दण्ड पारुश्य' कहा जाता था।
2. **कंटकशोधन –** इनमें मारपीट, झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे। ये फौजदारी अदालतें थीं। तीन 'प्रदेष्ट्रि' तथा तीन 'अमात्य' मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का फैसला करते थे। नगर न्यायाधीश को 'व्यावहारिक महामात्र' कहते थे तथा जनपद न्यायाधीश को 'राज्जुक' कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के चार मुख्य अंग हैं– धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन।

21. शेर खाँ की उपाधि फरीद को किसने और क्यों दी? 4

उत्तर :

शेर खाँ के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन बिहार में सहसराम के जागीरदार थे। शेर खाँ ने बिहार के सूबेदार 'दरिया खाँ लोहानी' के पुत्र बहार खाँ के यहाँ नौकरी कर ली, जो उसकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ। एक बार जब फरीद खाँ बहार खाँ के साथ शिकार खेलने के लिए गया था, उसने तलवार के एक ही वार में शेर को मार डाला। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बहार खाँ ने उसे शेर खाँ की उपाधि दी।

22. इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करें। 4

उत्तर :

इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है–

1. ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर विक्टर इमेन्युअल ने 10 नवम्बर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर दस्तखत किए। इसके द्वारा विलाफ्रेंका की विराम संधि की पुष्टि हो गई और इसी के साथ इटली का प्रथम चरण पूरा हुआ।
2. युद्ध समाप्ति के पश्चात् 1860 ई. में मध्य इटली के राज्यों (परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना) में जनता ने विद्रोह कर दिया था। युद्ध समाप्ति के पश्चात् 1860 ई. में मध्य इटली के राज्यों (परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना) में जनता ने विद्रोह कर दिया था। मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया तथा इन्हें सार्डिनिया में मिलाया गया। इसी के साथ इटली का दूसरा चरण पूरा हुआ।
3. 1860 ई. में गैरीबाल्डी ने नेपल्स और सिसली को सार्डीनिया में विलय के साथ ही इटली के एकीकरण के तृतीय चरण को पूरा किया।
4. प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य 1866 ई. में हुए युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा को सैनिक सहायता दी और 3 जुलाई 1866 ई. को प्रशा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की सन्धि हुई जिसमें इटली को वेनेशिया दिया गया। इस तरह इटली के एकीकरण का चतुर्थ और अन्तिम चरण पूरा हुआ। 1870 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया।

23. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख भेद लिखिए। 4

उत्तर :

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं–

1. **प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र –** प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं, जिसमें राज्य की इच्छा जनता द्वारा आम सभाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके नहीं भेजती, वरन् स्वयं एकत्रित होकर अधिकारियों को नियुक्त करती है, कर निर्धारित करती है तथा कानून बनाती है। ऐसा लोकतंत्र छोटे–छोटे राज्यों में ही स्थापित किया जा सकता है। प्राचीन यूनान तथा रोम के नगर–राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। आधुनिक राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों, अमेरिका तथा रूस के कुछ राज्यों तथा गणतंत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है।

   प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधुनिक साधनों में जनमत संग्रह, प्रस्तावाधिकार तथा प्रत्यावर्तन के साधन हैं। इन साधनों द्वारा मतदाता कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। जनमत संग्रह का थोड़ा–बहुत प्रयोग अन्य देशों में भी किया जाता है।
2. **अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र –** यह सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य की इच्छा जनता द्वारा निर्वाचित थोड़े से व्यक्ति समुदाय द्वारा प्रकट होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि अपने मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार कानून बनाते हैं। प्रतिनिधियों में से बहुमत दल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है जो शासन चलाता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है।

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

24. विनिवेश को समझाइए। 4

उत्तर :

सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश सम्पदाओं के तरलीकरण की क्रिया है, जिसमें राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। सरकार या राज्य सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से का चाहे एक भाग बेचे या सम्पूर्ण हिस्सा बेचे यह सरकार के नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करता हैं। भारत में भी निजीकरण हेतु 1991–92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। इससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार हुआ।

अथवा

24. भारत में पाए जाने वाले बेरोजगारी के उन प्रकारों को बताइए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करती है। 4

उत्तर :

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को निम्न दो प्रकार की बेरोजगारी से प्रदर्शित किया जाता है–

1. **छिपी बेरोजगारी –** छिपी बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात् यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गाँवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छिपी बेरोजगारी पाई जाती हैं। इसी प्रकार शहरों में छिपी बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में पाई जाती हैं।
2. **संरचनात्मक बेरोजगारी –** श्रम की पूर्ण गतिशीलता के अभाव में औद्योगिक जगत में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते है। इस बेरोजगारी की प्रवृति दीर्घकालीन होती है।

25. चिटफण्ड क्या हैं? 4

उत्तर :

भारत में चिटफण्ड योजना विशेष बचत, ऋण योजना एवं पारस्परिक लाभ की एक योजना है। चिटफण्ड की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं–

1. इस योजना में सभी सदस्य अनुबंध का हिस्सा होते हैं, जिसमें अपना निर्धारित अंश जमा करवाना होता है।
2. इसमें नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को कुल जमा राशि दी जाती है।
3. योजना के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं और जो सदस्य सबसे ज्यादा बट्टा कटवाकर राशि लेने को तैयार हो, उसे पुरस्कृत क्रेता घोषित किया जाता है।
4. प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार राशि मिलती है।
5. नीलामी या निविदा में योजना के गैर–पुरस्कृत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। जो पुरस्कृत किए जा चुके है वह भाग नहीं ले सकते।
6. बट्टे की राशि ही लाभांश होती है, जिसे सभी सदस्यों में बराबर बाँटा जाता है।
7. लाभांश की राशि को घटाकर अगली किश्त की राशि निर्धारित कर दी जाती है।

26. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? इस आन्दोलन की प्रगति की समीक्षा करें। 4

उत्तर :

भारत में अत्यधिक कालाबाजारी, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट के कारण 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में उपभोक्ताओं की अनेक संस्थाओं ने अपने प्रदर्शनों एवं लेखों के माध्यम से उत्पादकों एवं व्यापारियों की इन गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठाई और सरकार से आग्रह किया कि वह व्यापारियों और उत्पादकों की इन गतिविधियों पर अंकुश लगाए। इसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1986 ई. में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास किया जिसके द्वारा उत्पादकों एवं व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय की व्यवस्था की गई और दोषी व्यापारियों एवं उत्पादकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाने लगी।

27. 1919 ई. से 1949 ई. तक चलाए गए जन–आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 6

उत्तर :

1919 ई. से 1949 ई. तक चलाए गए जन–आन्दोलन

1919 से 1949 ई. तक चलाए गए प्रमुख जन–आन्दोलन निम्नलिखित थे–

1. **रोलेट एक्ट –** 19 मार्च, 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसे काला कानून करार दिया गया। साधारण लोगों के लिए इस एक्ट का अर्थ था ,"कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं"। एक्ट के विरोध में पहले 30 मार्च, 1919 तथा बाद में 6 अप्रैल, 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च और 6 अप्रैल दोनों ही दिन देश के उत्तरी और पश्चिमी नगरों व कस्बों में हड़ताल रही।
2. **जलियांवाला बाग हत्याकांड –** 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में 20 हजार लोग एकत्रित हुए। इन लोगों पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के (रास्ता रोक कर) गोली चलाने के आदेश दे दिए। लगभग 1650 गोलियाँ चलाई गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए।
3. **खिलाफत आन्दोलन –** 19 अक्टूबर, 1919 को सम्पूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। भारतीय मुसलमानों मुहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार विरोधी और खलीफा के समर्थन में आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 'खिलाफत आंदोलन' कहलाता हैं। आंदोलन चलाने के लिए 1918 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ।
4. **असहयोग आन्दोलन –** अगस्त, 1920 में आंदोलन शुरु करते हुए गाँधी जी ने स्वयं 'केसरी–ए हिंद' की उपाधि तथा अन्य पदों का परित्याग कर दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार काफी उत्साहवर्धक रहा। हिंदू–मुस्लिम एकता का व्यापक प्रदर्शन हुआ। नवंबर, 1921 में बंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार हुआ, परंतु 1922 में चौरी–चौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन ने 1857 के बाद पहली बार अंग्रेजी

सभी गुरूजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाएंगे।

राज की नींव को हिलाया।

5. **साइमन कमीशन –** साइमन कमीशन को इंग्लैंड की सरकार ने 1928 में भारत में 1919 के अधिनियम की कार्य–प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भेजा था। भारत के सभी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। यह आयोग जहाँ पर भी गया लोगों ने 'साइमन वापस जाओं' के नारे लगाए। कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमृतसर में साइमन का विरोध कर रही भीड़ का नेतृत्व कने वाले लाला लाजपतराय पर लाठियों से प्रहार किए गए। इस कारण 17 नवंबर, 1928 को लालाजी का निधन हो गया।
6. **सविनय अवज्ञा आन्दोलन –** साइमन कमीशन सन् 1928 में भारत आया। भारतीयों के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस पर गाँधीजी ने निराश होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। गाँधीजी ने नमक कानून को तोड़ा, इस पर गाँधीजी को अपने सहयोगियों के साथ जेल जाना पड़ा। सन् 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो गया।
7. **व्यक्तिगत सत्याग्रह –** द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने पर भारत सरकार ने भारत को भी युद्ध में धकेल दिया था। इसका कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। अक्टूबर, 1939 में काँग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग–पत्र दे दिया। काँग्रेस चाहती थी कि सरकार आश्वासन दे कि युद्ध के बाद भारत को आजादी दे दी जाएगी व युद्ध काल में युद्ध विभाग भारतीयों के हाथों में सौंपेगी। सरकार ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया तो काँग्रेस ने 1940–41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया।
8. **भारत छोड़ो आन्दोलन –** सन् 1942 में गाँधीजी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने इसे दबाना चाहा परन्तु वह भारतीय जनता की आवाज को न दबा सके। इस आंदोलन में गाँधीजी ने "करो या मरो" का नारा दिया।

अथवा

27. असहयोग आन्दोलन का वर्णन कीजिए। 6

उत्तर :

भारतीयों को युद्ध समाप्ति के पश्चात् अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु स्वराज की जगह दमन करने वाले कानून दिये गये तो उनके असन्तोष ने विकट रूप धारण कर लिया। 1920 ई. में 4 से 9 सितम्बर तक कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काँग्रेस अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पेश किया।

असहयोग आन्दोलन के कारण– असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे–

1. युद्धोत्तर भारत में असन्तोष
2. विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया
3. मॉण्ट–फोर्ड सुधारों से जन–असन्तोष
4. मूल्य वृद्धि
5. अकाल और प्लेग
6. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड

असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम– 1920 ई. के नागपुर अधिवेशन में घोषणा की गयी कि स्वराज की प्राप्ति के लिए काँग्रेस एक अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करेगी। असहयोग आन्दोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम तय किये गये–

1. सरकारी उपाधियों एवं 'अवैतनिक' पदों का त्याग कर दिया जाए तथा जिला एवं म्युनिसिपल बोर्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्याग–पत्र दे दें।
2. सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों एवं सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में कोई भी भारतीय भाग न लें।
3. सरकारी तथा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों एवं कॉलेजो का बहिष्कार किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए।
4. सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा पंचायतों द्वारा मुकदमों का निपटारा किया जाए।
5. नई कौंसिलों के चुनावों का बहिष्कार किया जाए।
6. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और उसका प्रसार किया जाए।
7. भारतीयों द्वारा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए।
8. सरकार को कर न दिया जाए।
9. हाथ की कताई एवं बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए।

असहयोग आन्दोलन का प्रसार– 1921 ई. का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर अवतीर्ण हुआ। सत्य और अहिंसा पर आधारित आन्दोलन में देखते ही देखते लाखों व्यक्ति सम्मिलित हो गए। सर्वप्रथम गाँधीजी ने अपनी पदवी "केसर ए हिंद" और महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 'नाइट' की पदवी सरकार को वापस कर दी। इस आंदोलन में जनता ने कानूनों का उल्लंघन किया। 17 नवम्बर, 1921 ई. को ब्रिटेन के राजकुमार प्रिन्स ऑफ वेल्स के भारत आने पर उनका देशभर में हड़तालों और प्रदर्शनों से स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलायीं। सरकार का दमन–चक्र चलता रहा। वर्ष के अंत तक गाँधीजी को छोड़कर देश के सभी प्रमुख नेता बन्दी बना लिये गये। लगभग 30,000 व्यक्ति जेलों में बन्द थे।

चौरी–चौरा की घटना– 5 फरवरी, 1922 ई. को उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर जिले के चौरी–चौरा नामक गाँव में काँग्रेस का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में सम्मिलित कुछ लोगों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इस पर जनता उत्तेजित हो गयी और थाने में आग लगा दी। जिसमें थानेदार सहित 21 पुलिस के सिपाही जलकर मर गये। गाँधीजी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे अतः उन्होंने तत्काल आंदोलन को स्थगित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने परिस्थिति का लाभ उठाकर गाँधीजी को गिरफ्तार कर छः वर्ष के कारावास का दण्ड दिया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही भारत में असहयोग आन्दोलन स्वतः समाप्त हो गया।

28. राष्ट्रपति की वित्तीय संबंधी एवं न्यायिक शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। 7

उत्तर :

1. **वित्तीय शक्तियाँ व अधिकार –** भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रदान किये हैं–
   (a) **बजट प्रस्तुत करने का अधिकार –** देश का वार्षिक बजट और पूरक बजट तैयार करके उसे लोकसभा में प्रस्तुत कराना राष्ट्रपति का दायित्व है।
   (b) **वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार –** कोई भी धन विधेयक तथा वित्त–विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसकी अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान की माँग नहीं की जा सकती।

(c) **आय के वितरण का अधिकार –** संघ एवं राज्यों के मध्य आय के वितरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही होता है।

(d) **अनुदान तथा करों पर सिफारिश –** राष्ट्रपति नये करों को लगाने की सिफारिश करता है एवं अनुदान की माँग से संबंधित कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(e) **आकस्मिक निधि पर अधिकार –** राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आवश्यकता पड़ने पर संसद की स्वीकृति के बिना भी आकस्मिक निधि से धन निकाल सके।

(f) **वित्त आयोग की नियुक्ति –** राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को, उस पर किये गये स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।

2. **न्यायिक शक्तियाँ –** संविधान द्वारा राष्ट्रपति को तीन प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

(a) **क्षमादान संबंधी अधिकार –** संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा तथा निम्न कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गयी है–

(i) सेना न्यायालयों द्वारा दिए गए दण्ड के मामले में।

(ii) मृत्यु दण्डादेश के सभी मामलों में।

(iii) उन सभी मामलों, जिनमें दण्ड या दण्डादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।

(b) **परामर्श करने का अधिकार –** अनुच्छेद 143 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो ऐसी प्रकृति का और व्यापक महत्त्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना उचित है, तब वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है।

(c) **न्यायालय संबंधी अधिकार –**

(i) अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करता है।

(iii) उच्चतम न्यायालय अपनी कार्य प्रणाली से संबंधित जो नियम बनाता है, उनके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

(iv) राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है।

अथवा

28. लोकसभा के गठन एवं विधायी शक्तियों को बताइए। 7

उत्तर :

लोकसभा का गठन– लोकसभा का गठन राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है।

1. मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी।
2. संविधान के अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है जिसमें विभिन्न राज्यों के 530 सदस्य तथा संघ शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं। 2 सदस्य इंग्लो–इण्डियन समुदाय में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
3. वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो–इण्डियन समुदाय में से मनोनीत किए जाते हैं।
4. अगस्त, 2001 में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी।

लोकसभा की विधायी शक्तियाँ – संसद की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग लोकसभा ही करती है, क्योंकि लोकसभा की इच्छा के विरूद्ध कोई कानून पास नहीं हो सकता है। लोकसभा संघीय सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है।

यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, तो उस राज्य के लिए कानून लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

विधेयक लोकसभा में पास होने के पश्चात् राज्यसभा में भेजे जाते हैं तथा वहाँ पास हो जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। यदि राज्यसभा विधेयक को पास न करे या 6 माह तक उस पर कोई कार्यवाही न करे, तो राष्ट्रपति पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसमें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

ऐसे अधिवेशन में लोकसभा की ही विजय (अधिक संख्या बल होने के कारण) होती है, परन्तु संयुक्त अधिवेशन में ऐसे कई संशोधन भी पास हुए हैं, जिन पर राज्यसभा जोर दे रही थी।

29. राज्य विधानमण्डल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया समझाइए। 6

उत्तर :

साधारण विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए अग्रलिखित अवस्थाओं से गुजरना होता हैं–

1. **विधेयकों की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन –** निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा माँगता है और इसके बाद विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन करते हैं, तो विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित कर

सभी गुरुजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाएंगे।

दिया जाता है। इसे विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है।

2. **द्वितीय वाचन –** विधेयक प्रस्तावित करने वाला सदस्य प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाए। वाद-विवाद के बाद कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है।
3. **प्रवर समिति अवस्था –** दूसरे वाचन के बाद विवादपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अन्त में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इस प्रतिवेदन को सदन के सम्मुख पेश किया जाता है।
4. **प्रतिवेदन अवस्था –** प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का परिसदन द्वारा विचार किया जाता है। इस अवस्था में सदन के सदस्यों को भी अपने संशोधन और सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। समिति द्वारा रखे गए प्रत्येक सुझाव पर सदन में मतदान होता है। इस तरह विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार और वाद-विवाद करके उसे स्वीकार किया जाता है।
5. **तृतीय वाचन –** इस अवस्था में विधेयक के साधारण सिद्धान्तों पर फिर से बहस की जाती है और विधेयक में भाषा सम्बन्धी सुधार किए जाते हैं। इस अवस्था में विधेयक की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या तो सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार। इसके बाद मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को बहुमत द्वारा अस्वीकृत समझा जाता है।
6. **विधेयक दूसरे सदन में –** एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिए जाने पर, जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होता है, वहाँ विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन में भी विधेयक को उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिन अवस्थाओं से होकर विधेयक प्रथम सदन में गुजरा था। यदि विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात् विधानपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद् तीन महीने तक विधेयक पर विचार पूरा नहीं कर पाती या परिषद् विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके परिषद् के पास भेजती है। तब यदि परिषद् पुनः विधेयक अस्वीकृत कर देती है अथवा दोबारा विधेयक पास नहीं करती या परिषद् विधेयक में पुनः संशोधन करती है, जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, तो विधेयक विधानपरिषद् द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पास हुआ समझ लिया जाता है।
7. **राज्यपाल की स्वीकृति –** विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है अथवा कुछ सुझावों सहित विधानमंडल के पास दुबारा भेज सकता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है।

अथवा

29. राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ और कार्य लिखिए। 6

उत्तर :

जिस तरह से केन्द्र में राष्ट्रपति को संसद से सम्बन्धित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी राज्य विधानमण्डल से सम्बन्धित विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं-

1. राज्यपाल राज्य विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है।
2. राज्यपाल राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों को अलग-अलग या संयुक्त रूप से सम्बोधित कर सकता है।
3. जब विधानमण्डल का सत्र चल रहा होता है, तब राज्यपाल विधानमण्डल के पास विचार के लिए अपना सन्देश भेज सकता है।
4. राज्यपाल विधानमण्डल के विधेयकों को अनुमोदन तथा स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधेयक अधिनियम है।
5. राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। ऐसे विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन के यदि विधानमण्डल वापस या दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है।
6. राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमण्डल के पास नहीं लौटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है।
7. संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश का वह बल और प्रभाव होता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के छह सप्ताह तक जारी रहते हैं। यदि इन छह सप्ताहों के अन्दर विधानमण्डल उन्हें स्वीकृत नहीं करता है, तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।
8. यदि कोई विधेयक सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजता है।
9. जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमण्डल की व्यवस्था है, वहाँ पर उच्च सदन यानी विधानपरिषद् में राज्यपाल सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा और समाजसेवा आदि क्षेत्रों के प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
10. राज्य विधानमण्डल में एंग्लो-इण्डियन नहीं है, तो राज्यपाल एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत कर सकता है।

30. 1. दिये गये भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए- 5

(a) बंगाल

(b) पंजाब

2. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए-

(a) जवाहर लाल नेहरू समुद्री पतन

(b) सूती वस्त्र उद्योग-पोरबन्दर

(c) ऊनी वस्त्र उद्योग-बीकानेर

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

उत्तर :

****

सत्र 2020-21 से नये पाठ्यक्रमानुसार सभी कक्षाओं के सभी विषयों की टेक्स्ट बुक एवं सभी प्रकार की सहायक अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा एवं वेबसाइट www.rbse.online पर उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके लिये विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिये विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई OTP Verification या Email द्वारा Verification नहीं देना होगा। हमारा व्हाट्सएप नम्बर जानने या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये वेबसाइट www.rbse.online पर विजिट करें।

सभी गुरुजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाएंगे।